BULANDSHAHR POLICE

दिनांक 07 नवम्बर 2023

"ऑपरेशन कन्विक्शन" अभियान के क्रम में बुलन्दशहर पुलिस द्वारा प्रभावी पैरवी कर हत्या के आरोपी को आजीवन कारावास व 15,000/- रूपये के अर्थदण्ड की सजा दिलवायी गयी:-

अवगत कराना है कि अभियुक्त वीरेन्द्र पुत्र महेन्द्र निवासी निमडी आजाद नगर माजरा विसाईच थाना जनपद बुलन्दशहर द्वारा वर्ष-2022 में अपने गांव निवासी एक व्यक्ति सत्यपाल की गोली मारकर हत्या करने की दुस्साहसिक घटना कारित की गयी थी जिसके सम्बन्ध में दिनांक 25.10.2022 को थाना गुलावठी पर मुअसं- 430/2022 धारा- 302 भादवि तथा बरमादगी के सम्बन्ध में मुअसं 432/22 धारा 25/27 आर्म्स एक्ट पंजीकृत किया गया तथा दिनांक 21.01.2023 को पुलिस द्वारा मा0 न्यायालय में आरोप पत्र प्रेषित किया गया। इन दोनो अभियोग को श्रीमान पुलिस महानिदेशक महोदय, उ0प्र0 द्वारा चलाये जा रहे अभियान "ऑपरेशन कन्विक्शन" के अन्तर्गत चिन्हित करते हुए मॉनीटरिंग सैल बुलन्दशहर द्वारा मा0 न्यायालय में सशक्त, प्रभावी पैरवी कर अभियोजन की कार्यवाही सम्पन्न करायी गई जिसके परिणामस्वरुप **आज दिनांक 07.11.2023 को मा0 न्यायालय एडीजे-08 बुलन्दशहर द्वारा दोष सिद्ध पाये जाने पर अभियुक्त वीरेन्द्र को आजीवन कारावास व 15,000/- रूपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया ।** अभियोजन पक्ष की ओर से पैरवी करने वाले अभियोजक श्री भूपेन्द्र सिंह राजपूत का योगदान सराहनीय रहा है। प्रभावी पैरवी कर अभियुक्त को सजा दिलाना बुलन्दशहर पुलिस की बड़ी सफलता है।

मीडिया सेल बुलन्दशहर